

पूर्वोत्तर रेलवे



कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर

ई०पी०सं०-03-33

क्रमांक-220/2017

आरबीई सं०-120/2017

सं०ई/9/16/भाग-11/चार

दिनांक 16.10.2017

सचिव/महाप्रबन्धक
सचिव/अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्था०
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय:-विशेष गाडी नियंत्रक भत्ता प्रदान करने के प्रावधान से सम्बन्धित स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में।

रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या पीसी-VII/2017/1/7/5/3 दिनांक 15.09.2017 की हिन्दी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जा रही है।

बोर्ड के पत्र में संदर्भित पत्र दिनांक 10.08.2017 इस कार्यालय के पत्र संख्या ई/9/16/भाग-11/चार दिनांक 25.08.2017 क्रमांक-169/2017 द्वारा प्रचारित किया गया है।

संलग्नक/यथोपरि

(यू०पी०सिंह)
उपमुकाधि/अराज
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

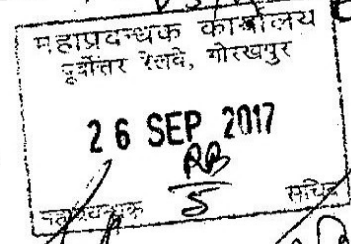
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक हेतु प्रेषित :-

- 1- महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर - 40 प्रतियों में।
- 2- महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 3- महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 4- पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर - 01 प्रति में।
- 5- महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 6- मुकार्याधी/एमपीपी को बेबसाइट पर अपलोड हेतु - 01 प्रति में।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

36

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD



पीसी-VII सं. 596/17
आरबीई सं.: 129/2017

सं. पीसी-VII/2017/I/7/5/3

नई दिल्ली, दिनांक: 15/09/2017

NERH. महाप्रबन्धक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर),
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां,
(मानक सूची के अनुसार)

विषय: विशेष गाड़ी नियंत्रक भत्ता प्रदान करने के प्रावधान से संबंधित स्पष्टीकरण के संबंध में।

कृपया बोर्ड के दिनांक 10.08.2017 के पत्र सं. पीसी-VII/2017/I/7/5/3 (आरबीई सं. 86/2017) जो भारतीय रेलवे के गाड़ी नियंत्रकों की कोटियों अर्थात् खण्ड नियंत्रकों और उप मुख्य नियंत्रकों को ₹ 5,000/- प्रति माह की दर से विशेष गाड़ी नियंत्रक भत्ता प्रदान करने के संबंध में है, और दिनांक 14.09.2010 के पत्र सं. पीसी-VI/2008/I/1/1 (आरबीई सं. 134/2010) का अवलोकन करें।

2. दिनांक 10.08.2017 के समसंख्यक पत्र में आंशिक संशोधन करते हुए, उक्त पत्र के पैरा 1 में उल्लिखित "उप मुख्य नियंत्रक" का पदनाम "मुख्य नियंत्रक" पढ़ा जाए।

3. दिनांक 10.08.2017 के पत्र में निहित अन्य सभी बातें पूर्ववत् रहेंगी।

624/126

(जया कुमार जी)
उप निदेशक, वेतन आयोग-VII
रेलवे बोर्ड

11.10.2017

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
Ministry of Railways (Rail Mantralaya)
(Railway Board)

PC-VII No. 59
RBE No.: 129/2017

File No. PC-VII/2017/1/7/5/3

New Delhi, dated: 15/09/2017

The General Manager/CAOs(R),
All Indian Railways & Production Units,
(As per mailing list)

**Sub: - Provisional grant of Special Train Controller's Allowance-
clarification reg.**

Please refer to Board's letter No. PC-VII/2017/1/7/5/3 dated 10.08.2017 (RBE No. 86/2017) regarding grant of Special Train Controllers' Allowance to the categories of Trains Controllers i.e. Section Controllers and Deputy Chief Controllers of Indian Railways @ Rs. 5,000/- per month and PC-VI/2008/1/1/1 dated 14.09.2010 (RBE No. 134/2010).

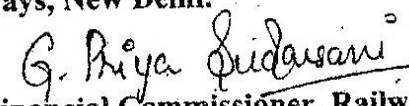
2. In partial modification to the letter of even No. dated 10.08.2017, the designation "Dy. Chief Controller" mentioned in Para 1 of the said letter may be read as "Chief Controllers".
3. All other contents in the letter dated 10.08.2017 will remain same.
4. Hindi version is attached herewith.


(Jaya Kumar G)
Deputy Director, Pay Commission-VII
Railway Board

File No. PC-VII/2017/1/7/5/3

New Delhi, dated: 15/09/2017

Copy (with 40 spares) forwarded to the A.D.A.I., Railways, New Delhi.


For Financial Commissioner, Railways

File No. PC-VII/2017/1/7/5/3

New Delhi, dated: 15/09/2017

Copy forwarded to:-

1. PFAs, All Indian Railways, PUs, NFR(Const)
2. The Principal, National Academy of Indian Railways, Vadodara.
3. The General Manager, CORE/Allahabad
4. The Director General, RDSO, Lucknow,
5. The General Manager and PFA, Metro Railway
6. The CAO and PFA, COFMOW/New Delhi